आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Punjab Building and Other Construction Workers Welfare Board (Department of Labour, Punjab)

Reimbursement for Treatment of Serious Ailments (Punjab BOCW Board)

पंजाब का निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड पंजीकृत श्रमिक या उसके आश्रित को हुई 16 गंभीर बीमारियों के इलाज का खर्च 1 लाख रुपये तक लौटाता है।

क्या मिल सकता है

सूची की 16 गंभीर बीमारियों के इलाज का वास्तविक खर्च 1 लाख रुपये तक वापस मिलता है। इनमें व्यावसायिक कैंसर, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, कैंसर का इलाज, हृदय की सर्जरी और किडनी प्रत्यारोपण शामिल हैं।

किसके लिए है

पंजाब निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक और उनके आश्रित परिवारजन, जिनका सूची की किसी बीमारी का इलाज हुआ हो।

मुख्य शर्तें

- श्रमिक बोर्ड में लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
- आश्रित के मामले में व्यक्ति श्रमिक के परिवार का सदस्य हो और निर्भरता का प्रमाण देना होता है।
- इलाज के खर्च का सत्यापन सिविल सर्जन करता है।
- श्रमिक को पहले भगत पूरन सिंह सेहत बीमा योजना के हेल्थ कार्ड के 50,000 रुपये के कवर का उपयोग करना होता है। केवल बाकी रकम यहां मांगी जा सकती है।

आवेदन कैसे करें

1. पहले बोर्ड में पंजीकरण कराएं। 18 से 60 वर्ष का जो श्रमिक पिछले 12 महीनों में पंजाब में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य कर चुका हो, वह आवेदन फॉर्म नंबर 28 भरकर पंजीकरण शुल्क जमा करता है।
2. अपना आवेदन नजदीकी सेवा केंद्र में दें, या अपने क्षेत्र के श्रम निरीक्षक, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, श्रम-सह-सुलह अधिकारी या सहायक श्रम आयुक्त से मिलें।
3. इलाज के बिल और कागज़ात दें ताकि सिविल सर्जन खर्च का सत्यापन कर सके। इसके बाद बोर्ड मंजूर राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजता है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://bocw.punjab.gov.in/index.aspx?id=Welfare%20Schemes&Data=38&scheme=ailments
आधिकारिक आवेदन: https://bocw.punjab.gov.in/
आधिकारिक PDF: https://bocw.punjab.gov.in/userfiles/file/Scheme%20Forms/BOCW%20Schemes%20in%20English%20Final2.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/punjab/pb-bocw-serious-ailments-reimbursement/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।